ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 473-475

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

बिहार पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति की भूमिका

राजेश कुमार सिंह

ग्रा0– पथार, पो0+थाना– गड़हनी, जिला–भोजपुर–आरा (बिहार) भारत

Received- 15.08.2020, Revised- 19.08.2020, Accepted - 23.08.2020 E-mail: shiv-shakti2k14@gmail-com

सारांश : ***बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1974 और बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 को निरस्त और प्रतिस्थापित करने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 बनाया गया। इसका उद्देश्य तिहतरकं संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 के प्रभावी होने के फलस्वरूप यथा उसमें समागग प्रयोजनों, सारभूत तथ्यों और दिशा निर्देशों को भूर्त रूप देने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1974 तथा बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 को निरस्त कर नया अधिनियम बनाना आवश्यक हो गया था।***

इस विधेयक द्वारा राज्य में ग्रामीण, प्रखंड एवं जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से निकायों में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी हो ताकि आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए बनाई गई योजनाओं को प्रभावकारी तैयारी एवं कार्यान्वयन हो, इसकी व्यवस्था की गई है।

कुंजीभूत शब्द– प्रतिस्थापित, समागय, विधेयक, अधिकारिक, भागीदारी, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, कार्यान्वयन।

पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति की भूमिका बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी, जिसकी अधिकारिता, इस नियम में जैसा उपबधिंता है उसे छोड़कर सम्पूर्ण प्रखंड तक होगी। इस अधिकारिता मैं प्रखंड के वे भाग शमिल नहीं होगें जो किसी नगरपालिका या नगर निगम के प्राधिकार के अधीन हो अथवा तत्समय प्रवृत किसी कानुन के अधीन गढ़ित किसी भी अधिसूचित क्षेत्र समिति या किसी कर्टोनमेन्ट बोर्ड के अर्न्तगत हो। प्रत्येक पंचायत समिति में अपनी पंचायत समिति के नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्त्राधिकारी होगी एवं इसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा ऐसे प्रतिबन्धों के अध्यधीन जो इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित हो और अपने अपने निगामित नाम से बाद चलाने या उस पर बाद चलाये जाने की अथवा अपनी प्राधिकारिता की परिसीयाओं के भीतरी या बाहरी क्षेत्र में चल या अचंल सम्पति को अर्जित, धारण और अन्तरण करने अथवा संविदाएँ करने की और जिस निमित इसका गठन किया गया है इसके प्रयोजनार्थ आवश्यक, समुचित और समीचीन सभी कार्य करने की शक्ति उसमें निहित होगी। पंचायत समिति के सभी सदस्यों को समिति की बैठको में मतदाता का अधिकार होगा, परन्तु प्रमुख एवं उपप्रमुख के निर्वाचन और हटाये जाने के विषय पर केवल उप–धारा (1) के खंड (क) के अर्न्तगत निर्वाचित सदस्यों को ही मत देने का अधिकार होगा। पंचायत समिति के उतने सदस्य जिसकी संख्या समय– समय पर जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिसूचित की जा सकेगी और ऐसी प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र की यथा संभव 5,000 की जनसंख्या के निकटतम का प्रतिनिधित्व करेगा। पंचायत समिति दो महीने में कम से कम एक बार कार्य संव्यवहार के लिए बैठक करेगी और निम्नलिखीत उप–धारा के उपबन्धो के अध्यधीन इसकी बैठक के दिन, समय, सूचना, प्रबन्ध और स्थगन के सम्बन्ध में तथा इसके सामान्यतः कार्य संव्यवहार के सम्बन्ध में उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुरूप विनिमय बनायेगी। पंचायत समिति की प्रत्येक बैठक सफारणतः पंचायत समिति के मुख्यालय में की जायेगी। गढन के बाद पंचायत समिति की पहली बैठक की तारीख अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा तय की जायेगी जो उस बैढक की अध्यक्षता करेगा और प्रत्येक साधारण बैठक की तारीख पंचायत समिति की पूर्व की बैठक में तय की जायेगी परन्तु प्रमुख प्रर्याप्त कारणों से बैठक की तारीख को बदलकर बाद की तारीख को रख सकेगा। पंचायत समिति के मुख्य रूप से निम्नखिखित कार्य एंव शक्रियाँ होती है।

1) सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्त्त के अधीन पंचायत समिति निम्नलिखित कार्य करेगी।

(i) बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 के द्वारा सौंपी गई योजना तथा सरकार द्वारा जिला परिषद द्वारा इसे सौंपी गई स्कीमों की वार्षिक योजनाएँ बनानो तथा जिला योजना में सम्मिलित करने हेतु विहित समय के अन्दर उन्हें जिला परिषद को प्रस्तुत करनां।

(ii) सभी ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं पर समिति में विचार–विमर्श एवं समेकन करना तथा समेकित योजना को जिला परिषद में प्रस्तुत करना।

(iii) पंचायत समिति की वार्षिक वजट बनाना तथा समेकित योजना को जिला परिषद में प्रस्तुत करना।

(iv) एसे कार्यकलापो का सम्पादन एवं एसे कार्यो का

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

निष्पादन जो इस सरकार या जिला परिषद द्वारा सौंपे जायें।

(v) प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत का प्रबन्ध करना।

2. कृषि से सम्बन्धीत कार्यः–

(i) कृषि एवं उद्यान कृषि की उन्नति एवं विकास

(ii) कृषि वीज फार्मों एवं उधान कृषि पौधशालाओं का अनुरक्षण

(iii) कीटनाशी एवं जीवनाशी औषधियों का भण्डार एवं विवरण

(iv) खेती के उन्नत तरीकों का प्रचार

(v) खेती को बढावा देना तथा सब्जियों, फलों एवं फूलों का विषणन

(vi) किसानों का प्रशिक्षण तथा विस्तार सम्बन्धी क्रियाकलाप

3. भूमि सूधार एवं भू–संरक्षण, सरकार के भूमि विकास एंव भू संरक्षण के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार और जिला परिषद की सहायता करना।

4. लधु सिंचाई जल प्रबन्ध एवं ढलवा जल निकास का विकासः–

(i) लधु सिंचाई कार्यो की व्यवस्था एवं अनुराक्षण में सरकार और जिला परिषद को सहायता करना।

(ii) सामुदायिक एवं व्यक्रिगत सिंचाई कार्यो का कार्योन्वयन।

(5) गरीबी –उन्मुलन कार्यक्रमों एवं स्कीमों का आयोजन और कार्यान्वयन।

(6) पशुपालन, डेरी उधोग एवं कुक्कुट पालन

(i) पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं का अनुरक्षण

(ii) मवेशी , कुक्कुट एवं अन्य पशुधनों के नस्लों में सुधार

(iii) डेरीफार्म, कुक्कुट पालन एवं सुअर पालन को प्रोत्साहित करना।

(iv) महामारी एवं छूत की रोगों की रोकथाम।

(7) मत्स्य उद्योग के विकास का प्रोत्साहनः–

(8) खाडी, ग्राम्म एवं कुटीर उधोगः–

(i) ग्रमीण कुटीर उधोग का प्रोत्साहन

(ii) सम्मेलनों, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि एव उधोग प्रदर्शनियों का आयोजन।

(9) ग्रामीण– आवास–आवास योजनाओं का कार्यान्यवचन तथा ग्राम थाना की सीमाओं के बाहर के गावों में आवास स्थलों का विवरण।

(10) पेय जामः–

(i) ग्रामीण जलापूती स्कीमों की व्यवस्था, मरम्मत एवं अनुरक्षण

(ii) जल प्रदुषण की रोकथाम एवं नियन्त्रण

(iii) ग्रामीण–स्वच्छता स्कीमों का कार्यान्वचन

(11) सामाजिक, लधु बन उत्पादन, ईधन एवं चारा :

(i) अपने नियत्रंणधीन की सड़कों के किनारे और अन्य सार्वजनिक भूमि या वृक्ष लगाना एवं उनका सरंक्षण

(ii) जलावन की लकड़ी वाले वृक्ष लगाना तथा चारा विकास

(iii) फार्म–वानिको को प्रोत्साहित करना ।

(12) सड़क, भवन, पुल, फेटी, जलमार्ग तथा संसार के अन्य साधन

(i) सार्वजनिक सड़कों, नालियों, पुलियों तथा संचार के वैसे अन्य साधनों जो किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार या सरकार के नियंत्राधीन न हो, का निर्माण एवं अनुरक्षण।

(ii) पंचायत समिति में निहित किसी भवन या सम्पति का अनुरक्षण

(iii) नार्वो, फेरियों और जलमार्ग का अनुरक्षण ।

(13) गैर परम्परागत, ऊर्जा श्रोतः– गैर परम्परागत ऊर्जा श्रोतों का विकास और अभिवृद्धि

(14) शैक्षिक, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, युवा क्लबों एवं महिला मंडलों के माध्यम से सामाजिक शिक्षा की अभिवृद्धि भी शमिल है।

(15) तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक शिक्षाः– ग्रामीण शिल्पी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की अभिवृद्धि

(16) वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा

(17) बाजार एवं मेला, त्योहारों का विनियमन।

(18) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की अभिवृद्धि तथा प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण कार्यक्रमों की अभिवृद्धि

(19) महिलाओं एवं बच्चों के विकास से सम्बन्धीत कार्यक्रमों की अभिवृद्धि तथा विद्यालय एवं स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों की अभिवृद्धि

(20) समाज कल्याण, जिसमें विकलॉग तथा मानसिक रूप से पिछड़ों का कल्याण भी शमिल है। इसके अन्तर्गत वृद्धावस्था तथा विद्यालय की पेंशनों और विकलागों के पेंशन का अनुश्रवण

(21) कमजोर वर्गो, विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

(22) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण

(23) जन वितरण प्रणालो द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण

(24) ग्रामीण विधुतीकरण की अभिवृद्धि

(25) सहकारी कार्यकलापों की अभिवृद्धि

(26) पुस्तकालयों की अभिवृद्धि

(27) अन्य कार्यः– इसके अर्न्तगत निम्नलिखित कार्य आते है।

(i) सरकार पंचायत समिति को अपने कार्यपालक प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले से संबधित अथवा केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को सौंपे गये कार्यो को सौंप सकेगी।

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

(ii) सरकार अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन सौंपे गये कार्यों को वापस ले सकेगी।

(28) पंचायत समिति अधिनियम, 1993 के अधीन या इसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों, कार्यपालक पदाधिकारी या किसी अन्य पदाधिकारी को अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोगित कर सकेगी।

(29) पंचायत समिति में निम्नलिखित स्थायी समितियाँ होगी (क) सामान्य स्थयी समिति (ख) वित्त, ऑकेक्षण तथा योजना समिति (ग) सामाजिक न्याय समिति (30) सामान्य स्थायी समिति स्थापना मामालों, संचार भवन निर्माण, ग्रामीण गृह निर्माण, ग्राम–विस्तार, प्राकृतिक बिन्दुओं में राहत कार्य, जलापूत्ती तथा शेष सभी विबिध मामलों को निष्पादन करेगी।

(31) वित्त ऑकेक्षण तथा योजना समिति, पंचायत समिति के वित्त से संबद्व बजट निर्माण, राजस्व वृद्धि हेतु प्रस्तावों की छानबीन, आय– व्ययकत विवरण की जाँच पंचायत समिति के वित्त को प्रभावित करनेवाले सभी प्रस्तावों पर विचार तथा इसके राजस्व एवं व्यय के सामान्य पर्यवेक्षण और सहयोग, लधु बचत योजना तथा प्रखंड विकास से संबंध अन्य कार्यो का निष्पादन करेगी ।

(32) सामाजिक न्याय समिति निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बद्ध कार्य करेगी।

(i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों तथा पिछड़े वर्गो की शिक्षा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा अन्य हितों की अभिवृद्धि।

(ii) उन्हें सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषणों से सुरक्षा प्रदान करना।

(iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, और पिछड़े वर्गो की दशा में सुधार करना।

(iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, महिलाओं तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गो को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।

(33) स्थायी समितियों ऊपर निर्दिष्ट कृत्यों का निष्पादन पंचायत समिति द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों की सीमा तय करेगी ।

(i) प्रत्येक समिति का अध्यक्ष समिति के कार्य के संबंध में पंचायत समिति के कार्यालय से कोई सूचना, विवरण आवेदन, लेखा या प्रतिवेदन मँगवाने तथा पंचायत समिति की किसी अंचल सम्पति या समिति के कार्यो की प्रगति के निरूपण और निरीक्षण का हकदार होगा।

(ii) प्रत्येक समिति अपनी बैठक में पंचायत के कार्यो से संबंद्ध किसी पदाधिकारी की उपस्थिति की अपेक्षा का हकदार होगा। समिति के निर्देशाधीन सचित, सूचना निर्गत करेगा और पदाधिकारियों की उपस्थिति सूनिश्चित करेगा।

(34) संपत्ति प्राप्त करने, रखने और निपटाव करने की शक्ति

(i) पंचायत समिति को संपत्ति अर्जित करने और निपटाव करने और संविदा करने की शक्ति होगी परन्तु यह कि अचंल सम्पत्ति के निपटाव के सभी मामलों में पंचायत समिति का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करगी ।

(ii) किसी पंचायत समिति द्वारा उसकी निधियों से निर्मित सडके, भवन अथवा अन्य निर्माण उसमें निहित होगें।

(35) पंचायत समिति निधिः–प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायत समिति के नाम से एक पंचायत समिति निधि का गठन किया जायेगा और जमा खाते निम्नलिखित प्रकार की राशि जमा की जायेगी।

(i) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा दिया गया अंशदान एंव अनुदान यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत राज्य में वसूले गये भूराजस्व का ऐसा अंश भी शमिल है जो सरकार द्वारा निश्चित किया जाय।

(ii) जिला परिषद अथवा किसी अन्य स्थानिय प्राधिकार द्वारा दिया गया अंशदान एवं अनुदान, यदि कोई हो।

और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते , भविष्य निधि तथा उत्पादन का भुगतान शमिल है, पूरा करने के लिए यथोचित ऐसी धन राशि को प्रतिवर्ष खर्च करेगी।

(ix) प्रत्येक पंचायत समिति को ऐसी धन राशि खर्च करने की शक्रि होगी। जितनी वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए ठीक समझें।

(x) पंचायत समिति की निधि पंचायत समिति में निहित होगी और निधि के जमा खाते का अधिशेष ऐसी अभिरक्षा में रखा जायेगा , जैसा कि सरकार समय–समय पर निर्देश दें।

(xi) ऐसे सामान्य नियन्त्रण के अध्याधीन जैसे कि पंचायत समिति समय–समय पर प्रयोग कर पंचायत समिति के निधि से भूगतान के लिए सभी आदेशों और बैकों पर कार्यपालक अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति की भूमिका स्पष्ट हो जाती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भार्गव , वी. एस य पंचायत राज इन्सटीटचूशन एण्ड एन एनालिखिस ऑफ अशोक मेहता कमिटी रिपोर्ट , 1978 , पृ0– 17
2. नवभारत टाइम्स , नई दिल्ली , 16 मई 2010
3. यादव , जे0 पी0 एवं चौधरी , एस0 एन0 : बिहार पंचायत समिति और जिला परिशद अध्यादेश, 1978, राष्ट्रीय भवन प्रकाशन , पटना, पृ0–4
4. कृष्णा , गोपाल , द डेभेलेपमेन्ट ऑफ द इण्डियन नेशनल कॉग्रेंस पृ0 413–30

*****

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*